हमीरपुर पुलिस

थाना बिवांर) फायरिंग करने वाला वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक 08/05/2021 को थाना स्थानीय के अन्तर्गत पडने वाले ग्राम महेरा में फायरिंग की होने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि गांव महेरा के ही कपिल कुमार राजपूत पुत्र सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुन्ना द्वारा गांव के ही श्री रामपाल पुत्र प्रभूदयाल के साथ गाली गलौज कर दहशत फैलाने के इरादे से अवैध असलाह से फायरिंग की थी। आरोपी की तलाश की गयी थी तो नही मिला था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर धारा 286/504 I.P.C का अभियोग रामपाल उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10/05/2021 को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त अपराध से सम्बन्धित अभि0 कपिल कुमार राजपूत उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर चालू हालत व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभि0 उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 89/2021 धारा 3/25 A ACT का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

उ0नि0 श्री शाहजहां अली

का0 राजेश कुमार यादव